न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर

न्याय आपके द्वार केम्प– माण्डव दिनांक 29.5.2018

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आरएएस उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 3/2018(राजस्व वाद)

दायर दिनांक – 25.1.2018
फैसल दिनांक– 29.5.2018
(केम्प माण्डव)

अनवान

1–श्री प्रभूलाल पिता लालजी बलाई निवासी माण्डव

(वादी)

बनाम

1– श्री चन्दुलाल पिता लालजी बलाई निवासी माण्डव
2– सूरज पिता कचरू बलाई निवासी माण्डव
3– चन्दना पिता कचरू बलाई निवासी माण्डव
4– श्रीमती मीना बेवा कचरू बलाई निवासी माण्डव
5– श्रीभूमिधारी तहसीलदार सागवाडा

(प्रतिवादी)

वकीलवादी – श्री अनिरूद्धसिंह
वकील प्रतिवादी –- श्री कल्पेश रावल

वाद अन्तर्गत धारा 53 ,88,188 ,209 राज0टि0एक्ट बाबत बंटवारा करने

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता मौजा माण्डव में संवत 2071–74 के खाता संख्या 101 नया व 104 पुराना में कुल खेत 19 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा है जिसमें वादी का एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में चला आ रहा है । यह कि वादी के पिता लालजी थे जिनकी मृत्यु होने से वादीव प्रतिवादीगण के नाम इन्तकाल खुला जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 के पूर्वजों की मृत्यु होने पर उनके वारिसान के नाम से विरासती नामान्तरकरण खोला जाकर सहखातेदार हिस्से के रूप में नाम रेकार्ड में दर्ज है जो वाद में पक्षकार हो प्रतिवादीगण है ।

यह कि खाता संख्या 101/104 के कुलखसरे 18 कुल रकबा 8बीघा 2बिस्वा को अन्य सहखातेदार प्रतिवादीगण वादी को काश्त नहीं करने देते है ना ही कृषि भूमि पर आने जाने भी नही देते हैं साथ ही प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की जानकारी एवं सहमती के बिना उक्त भूमि को विक्रय करने का अंदेशा है जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है । उक्त कृषि भूमि पर संयुक्त खातेदारी होने से वादी विकास कार्य भी नही कर पा रहा है एवं उसे अन्य कई काश्तकारी अधिकारों का उपयोग करने से वंचित रह रहा है जिससे बंटवारा किया जाना आवश्यक है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

वदी ने वाद के अन्त में वादी एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 101/104 कुल खेत 19 कुल रकबा 8 बिघा 2 बिस्वा के खाते प्रथक प्रथक कर जमाबन्दी अनुसार वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाने एवं प्रतिवादीगण वादी की भूमि मे किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वदी की ओर से वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए जवाब वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रारम्भिक डिकी जारी किए जाने की सहमती से दिनांक 11.4.2018 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार सागवाडा को पक्षकारान के मध्य जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदेश दिए गए ।

आज दिनांक को न्याय आपके द्वार केम्प पंचायत मख्यालय माण्डव पर तहसीलदार द्वारा बंटवारा रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत कीगई ।

...लाल पिता लालजी बलाई निवासी माण्डव के हिस्से में आने वाली भूमि –

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	265	0.11	सु. I	0.96
2	268	0.01	सु. III	0.05
3	269	0.12	म.बीड	0.06
4	1242/1	0.03	आबादी	
5	3742/452/1	0.10	रु.।।।	0.75
6	3786/252/1	0.10	रु.।।	0.50
7	3787/738/1	0.07	रु.।।।	0.35

...दुलाल पिता लालजी 1/2,सूरज ,बन्दना पिता कचरू मीना बेवा कचरू 1/2 हिब निवासी माण्डव के हिस्से में आने वाली भूमि –

क0सं0	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	214	0.02	सी. II	0.20
2	266	0.05	म.बीड	0.25
3	267	0.08	सु. I	0.70
4	270	0.04	रा. II	0.02
5	271	0.05	रा. II	0.03
6	272	0.02	रा. II	0.01
7	273	0.03	रा. II	0.02
8	274	0.03	रा. II	0.02
9	275	0.08	रा. II	0.04
10	276	0.08	म.बीड	0.40
11	1176	0.02	सु . III	0.10

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति

उपखण्ड अधिकारी,सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा

12	1236	0.02	सु ।।	0.15
13	1242	0.03	आबादी	—
14	3742/452	1.10	सु .।।।	1.50
15	3786/252	0.10	सु .।।	0.75
16	3787/738	0.13	सु .।।।	0.65

...वारा रिपोर्ट के कम में आज दिनांक 29.5.2018 को न्याय आपके द्वार शिविर पंचायत ...लय माण्डव पर उपस्थित पक्षकारान को सूना गया । पक्षकारान बंटवारा रिपोर्ट से ...त है ।

अतः वाद वादी स्वीकार एवं अन्तिम डिकी किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को ...श दिया जाता है कि बंटवारा रिपोर्ट (परिशिष्ठ– अ) के अनुसार पक्षकारान के मध्य ...कर खाता प्रथक प्रथक दर्ज किया जावे । एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से ...न्द किया जाता है कि वादी को उसके हिस्से की भूमि में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप ...हीं करें। बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ अ निर्णय एवं डिकीका अभिन्न अंग रहेगा । अन्तिम डिकी ...री हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2018 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ,नंबर से ...ज हो ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
केम्प –माण्डव

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रति
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा